यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय आयुक्त, कुमाऊं मंडल, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय आयुक्त, कुमाऊं मंडल, नैनीताल के माह 06/2015 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14.07.2017 से 18.07.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामसनेही व श्री एस.के. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अभिनव सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.06.2015 से 11.06.2015 तक श्री पी.सी. श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2013 से 05/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कुमाऊं मंडल, नैनीताल

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	136.40	112.48	19.35	18.00	-	-
2015-16	-	-	155.97	123.29	27.25	22.58	-	
2016-17	-		193.25	143.90	27.75	23.30	-	-
2017-18 (06/2017 तक)			74.08	11.33	48.47	04.01		

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त कुमाऊं मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन आयुक्त, कुमाऊं मंडल, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-1- रू 33,334 का अनियमित क्रय।

सामान्य वित्तीय नियम, 2016 के नियम 62(1)(2), के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित तिथि को अवशेष बजट शासन को समर्पित कर दिया जाना चाहिए, बचत या प्राविधानित बजट यदि समुचित रूप से व्यय न हो सके तो शासन को समर्पित किया जाना चाहिए।

कम्पयूटर स्टेशनरी अनुरक्षण एवं कम्पयूटर हार्डवेयर वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कम्पयूटर अनुरक्षण मद में क्रमशः रू 12,016 एवं रू 1778 (कुल रू 13794) अवशेष थे। इसी प्रकार 2016-17 वित्तीय वर्षान्त में कम्पयूटर हार्डवेयर मद में रू 19540/- अवशेष थे। विभाग द्वारा मद राशि रू 33,334 (रू 13,794+19540) शासन को समर्पित नही की गयी बल्कि प्राविधानित बजट को सिर्फ व्यय करने के उद्देश्य से सामग्री क्रय कर ली गयी जबकि इन सामग्रिय को उस समय कोई आवश्यकता नही थी, जोकि वित्तीय नियमों के विरूद्ध है।

विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित किये जाने पर उत्तर दिया गया कि भविष्य में बजट इस प्रकार अनावश्यक रूप से खर्च नहीं किया जायेगा एवं शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर-1</u> ₹ 01.99 लाख का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (सशोधित) नियमावली-2015 के नियम 9 के अनुसार "प्रत्येक अवसर पर ₹50,000 से ₹3,00,000 तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय कार्यालय अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है"।

कार्यालय आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय के लिए मद संख्या-12 'कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण' से वर्ष 2016-17 में ₹199996 का क्रय, क्रय समिति के गठन की प्रक्रिया से बचने हेतु टुकडों में किया गया, जबकि क्रय हेतु स्वीकृति एक साथ 02.01.2017 को लिया गया था। विवरण निम्न है-

फर्म का नाम	बिल संख्या	दिनांक	धनराशि (₹ में)
आशियाना, पीलीकोठी चौराहा, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी	330	01.02.2017	39503
आशियाना, पीलीकोठी चौराहा, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी	333	03.02.2017	38358
आशियाना, पीलीकोठी चौराहा, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी	338	08.02.2017	43510
आशियाना, पीलीकोठी चौराहा, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी	340	13.02.2017	32060
आशियाना, पीलीकोठी चौराहा, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी	344	17.02.2017	40075
जे.जे.इंटरप्राइजेज, 39-40 रेम्से रोड़, तल्लीताल, नैनीताल	2915	10.03.2017	6490
योग			199996

उपरोक्त क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधित) नियमावली-2015 का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि भविष्य में लेखापरीक्षा के निर्देशानुसार क्रय समिति गठित कर क्रय किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-28/2013-14	शून्य	01	प्रस्तर-1 कार्य पूर्ण किये बिना ही ₹ 4.85 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जाना।
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-14/2015-16	शून्य		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-28/2013-14	भाग-2 'ब' प्रस्तर-01	अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सम्प्रेक्षा को प्रेषित किया जायेगा		
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-14/2015-16	शून्य			

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त, कुमाऊं मंडल, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री अवनेन्द्र सिंह नयाल	आयुक्त	24.07.2013	31.07.2016
2.	श्री दीपक रावत	आयुक्त	01.08.2016	03.10.2016
3.	श्री डी. सैंथिल पाण्डियन	आयुक्त	03.10.2016	02.06.2017
4.	श्री चन्द्रशेखर भट्ट	आयुक्त	02.06.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय आयुक्त, कुमाऊं मंडल, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र